भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3095

दिनांक 30 मार्च, 2022 / 09 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

आदिवासियों और दलितों के विरुद्ध झूठे मामले

3095 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

श्री कुमार केतकरः

डा. एल. हनुमंतय्याः

श्रीमती पूलों देवी नेतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों की जांच कराई है या जांच कराने का इरादा रखती है कि आदिवासी और दलित लोग झूठी गिरफ्तारी के लिए अतिसंवेदनशील हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए झूठे मामलों की वार्षिक संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभिस्वीकृति दिए गए झूठे मामलों से निपटने के लिए कोई नयाचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की पुनः जांच के लिए मौजूद नयाचार और झूठे आरोपी व्यक्तियों के लिए मुआवजे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार अल्पसंख्यक समूहों के विरुद्ध झूठे मामले शुरु करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। किसी व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी के विरूद्ध शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्रवाई करने समेत कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने और साथ ही अपराधों के संबंध में अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों और अपने संबंधित पुलिस मैनुअलों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। गलत तरीके से गिरफ्तारियों और उनके संबंध में फर्जी मामलों के आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

राज्य सभा अता. प्र.सं.3095, दिनांक 30.03.2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, में व्यक्तियों की गिरफ्तारी किये जाने और बिना आधार के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है।

******